/1/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अ०सं० 1 अनुपस्थित। तीन बार आवाज लगायी, अनुपस्थित है। अतः अ०सं० 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अ०सं० 2 का जवाब अवसर बन्द किया जाता है। प्रा०पत्र में बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा०पत्र धारा 212 R.T. Act दि० 28/4/25 को पेश हो।

[signature] 07/4/25

8/4/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा० पत्र u/s 212 RTA दिनांक 02/5/25 को पेश हो।

[signature] 28/4/25

02/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। बहस प्रा०पत्र [illegible] / धारा 212 RTA के परिपेक्ष्य में पत्रावली का [illegible] के प्रा० पत्र [illegible] के लिए इसे निम्न तीन बिंदुओं [illegible] है:-
(अ) प्रकरण प्रथम दृष्टया:- आये प्रार्थी [illegible] का कथन है कि ग्राम कपारखेड़ी पटवार हल्का कपारखेड़ी की वाउण्ड्री आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:20:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में

खाता सं० 341, 342, 347, 348 में अप्रार्थी क्रम 1 श्यामसिंह का दर्ज हिस्सा उनकी संयुक्त परिवार की पैतृक आराजी है जो अप्रार्थी क्रम 1 को विरासत में जरिये चौथी नामा० सं० 345 दिनांक 20/6/2009 उनके पिता पूरसिंह से प्राप्त हुई थी। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पैतृक होने से Hindu Succession Act के अनुसार जन्म से ही Notional share पर हक व अधिकार निहित है। अतः Notional share तक प्रार्थीगण प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में है।

बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा न तो चौथी नामा० सं० 345 की प्रतिलिपी पेश की गई है और न ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है जिससे ज्ञात हो कि वादग्रस्त आराजी पूरसिंह (अप्रार्थी क्रम 1 के पिता) के खाते दर्ज थी। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी की केवल वर्तमान जमाबंदी पेश की है जिसमें अप्रार्थी क्रम 1 का हिस्सा दर्ज है।

माननीय supreme court ने सर्वम्मा बनाम UR विरुपाक्षैया 2010 SCC online 136 एवं गुरुदेव कौर बनाम धमंड सिंह 1964 SCC पुंज 180 मामलो में अभिनिर्धारित किया है कि "पैतृक संपत्ति पुरुष वंश की चार पीढ़ीयो तक विरासत मे मिलती है और वंश की पूरी अवधि के दौरान वह अविभाजित रहनी चाहिए"।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम [illegible] की वादग्रस्त आराजी पैतृक आराजी साबित नहीं होने से The Hindu Succession Act 1956 के तहत प्रार्थीगण का जन्म से ही Notional share निहित होना भी साबित नहीं है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

(ख) सुविधा का संतुलन [illegible] प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष [illegible] आराजी प्रार्थीगण की पैतृक आराजी साबित [illegible] है अतः अप्रार्थी 1 की विभाजित सम्पत्ती ही मानी जावेगी, जिसके बेचान, दान, हकत्याग आदि मुन्तकिल करने का अप्रार्थी 1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा (?) जिला झालावाड़
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:20:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म की तालीम में जारी हुए

को हक व अधिकार होगा। अत: प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है।

(स) अपूरणीय क्षति :- जब वादग्रस्त आराजी के बेचान, दान, रहन, हस्तान्तरण आदि अन्तरणों का अप्रार्थी 1 श्यामसिंह को अधिकार है तो ऐसे अन्तरणों से अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होना चाहिए नहीं होता है (प्रार्थीगण का कब्जा होना भी साबित नहीं है)

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र u/s 212 RT Act r.w. O. 39 R1&2 CPC खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

(हस्ताक्षर)
04/5/25

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:20:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner